उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 41505-10 /आर0सी0–वसूली/2017–18 दिनाँकः 22·02·18

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

महत्वपूर्ण

कृपया पत्र के साथ संलग्न **आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0, लखनऊ** के पत्र सं0/1089/2–संग्रह–04(डी0सी0)/2018, दि0 09 फरवरी 2018, जो समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त मण्डलायुक्त को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। सन्दर्भित पत्र इस अपेक्षा के साथ समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को निर्गत किया गया है कि ***"जिला एवं मण्डल स्तर पर वसूली कार्यो की समीक्षा के समय उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा वितरित ऋण की वसूली की प्रगति की समीक्षा अवश्य की जाय" एवं अपने कुशल निर्देशन में बैंक द्वारा वितरित ऋणों की वसूली में महत्वपूर्ण प्रगति कराएं।***

उक्त पत्र आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं निर्देशों का अध्ययन कर लें तथा अपने जनपद/मंण्डल के जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त से उक्त पत्र के साथ सम्पर्क कर बैक देयों की वसूली को प्रभावी ढंग से गति प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। साथ ही साथ शाखा/जनपद स्तर पर कुल लम्बित आर0सी0 की सं0 एवं धन0 का मिलान राजस्व विभाग की वेबसाइट से पुनः कर लें तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर वसूली में अपेक्षित प्रगति लाये।

इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न–यथोपरि।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 प्र0का0/प्रशि0केन्द्र को, **आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0** लखनऊ, के पत्र को इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित कि वह पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं निर्देशों का परिपालन कराते हुए अपने मण्डल के शाखाओं की वसूली का गहन अनुश्रवण सुनिश्चित करें तथा आवश्यकतानुसार स्वयं जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता से सम्पादित किया जाय।
2. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ, को बैंक की शाखाओं को ई0मेल कराने हेतु।
3. निजी सचिव **अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, उ0प्र0** को, अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव **आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0** को, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद महोदय के अवलोकनार्थ।
5. निजी सचिव **आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0** को, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0, महोदय के अवलोकनार्थ।

(आर0बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वसूली)